



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ, 1942 (श०)

संख्या- 110 राँची, गुरुवार,

11 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

29 जनवरी, 2021

संख्या--5/आरोप-1-80/2015-897 (HRMS)-- श्री आलोक कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 832/03, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू के विरुद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5171/रा0, दिनांक 16.11.2015 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-852/स्था0, दिनांक 30.10.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र- ‘क’ में इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

आरोप सं0-1- कठौतिया कोल माईन्स के अर्बतगत 82.76 एकड़ भूमि, जो जंगल-झाड़ी की थी, उसे गैरमजरूआ भूमि (सरकारी भूमि) के रूप में मे0 उषा मार्टिन, प्रा0लि0 को कोयला उत्खन्न के लिए आवंटित कर दी गई, जो नियम के विरुद्ध था।

आरोप सं0-2- अभिलेख में संलग्न खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वैसी भूमि को भी गैरमजरूआ प्रतिवेदित किया गया, जो जंगल-झाड़ी थी। खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति में TORN खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति से TORN खतियान के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ ही था। खेसरा पंजी एवं

चेक स्लीप के आवलोकन से पता चलता है कि जंगल- झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि दिखाया गया है।

आरोप सं0-3- श्री एन0के0 मिश्रा, तत्कालीन आयुक्त, पलामू प्रमण्डल के पत्रांक-10 दिनांक 29.01.2015 के द्वारा भी कठौतिया कोल माईन्स में आपके विरुद्ध बंदोबस्त भूमि की बिक्री में CNT ACT धारा-49 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

आरोप सं0-4- खतियानों की जाँच किए बिना जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि मानकर खनन कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव आपके द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया, जो नियमानुकूल नहीं था।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10432, दिनांक 09.12.2015 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-4973/गो0, दिनांक 31.12.2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इनके स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-463, दिनांक 19.01.2016 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-366/स्था0, दिनांक 20.06.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-6597, दिनांक 29.07.2016 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः श्री हक के स्थान पर विभागीय संकल्प सं0-7840, दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-172, दिनांक 14.12.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत इनकी दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने के बिंदु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक-107, दिनांक 04.01.2019 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्र, दिनांक 10.01.2019 द्वारा समर्पित किया गया है। श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा वही तथ्य दोहराये गये, जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था।

समीक्षोपरांत, श्री कुमार समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0-1756, दिनांक 15.04.2019 द्वारा उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-1539, दिनांक 31.08.2020 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में समर्पित मुख्य बिन्दु एवं विभागीय समीक्षा निम्नवत् है-

(i) आरोप सं0-1, 2 एवं 3 से मुझे विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा मुक्त किया जा चुका है, लेकिन आरोप सं0-4 में परस्पर विरोधी बातें लिखी गई हैं, जबकि आरोप सं0-1, 2 एवं 4 की प्रकृति एक समान ही है।

जब आरोप सं0-1 एवं 2 में मेरे विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला तो आरोप सं0-4 में मुझे कैसे implicate कर दिया गया? यह समझ से परे है। आरोप सं0-4 में विभागीय जाँच पदाधिकारी की टिप्पणी है कि कम्प्यूटराईज्ड प्रति में मेरा हस्ताक्षर bonafide mistake का है, जबकि यह सभी छः राजस्व ग्रामों के भू-हस्तांतरण अभिलेखों के पृष्ठ सं0-12 की कंडिका-3 में यह तत्कालीन उपायुक्त, पलामू एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, पलामू द्वारा आदेश पत्रकों में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि कम्प्यूटराईज्ड प्रतियाँ अभिप्रमाणित एवं प्रतिहस्ताक्षरित हैं। अतः यह कैसे मान लिया गया कि विभागीय जाँच पदाधिकारी, उपस्थापन पदाधिकारी, प्रतिवेदित करने वाले अनुमंडल पदाधिकारी, डाल्टेनगंज सदर, अपर समाहर्ता, पलामू तथा उपायुक्त, पलामू द्वारा कि कम्प्यूटराईज्ड प्रतियाँ भी मेरे द्वारा ही तैयार की गईं, जबकि वे केवल मूल हस्तलिखित पूर्व में ही उपायुक्त, पलामू स्तर पर अनुमोदित तथा अनुशंसित राजस्व कागजातों की कम्प्यूटराईज्ड अतिरिक्त प्रतियाँ मात्र थीं। अगर ये मेरे द्वारा तैयार किया जाता तो मुझे इस आदेश पत्र में भी अंकित करना चाहिए था। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई। किसी भी छः ग्रामों के भू-हस्तांतरण अभिलेखों के आदेश पत्रकों में मेरे द्वारा लेखन हस्ताक्षर अनुशंसा अग्रसारण तथा आदेश टिप्पणी दर्ज नहीं है। सभी अभिलेख मेरे पदस्थापन के पूर्व ही तैयार किये गये थे।

विभागीय समीक्षा- श्री कुमार का कथन मान्य नहीं है, क्योंकि ग्राम- कजरी की कुल 27.01 एकड़ भूमि मे0 उषा मार्टिन प्रा0लि0 को कठौतिया कोल परियोजना हेतु हस्तान्तरण से संबंधित चेक स्लीप पर एवं खेसरा प्रपत्र पर श्री कुमार द्वारा अंचल अधिकारी, पड़वा के रूप में दिनांक 04.05.2011 को हस्ताक्षर किया गया है एवं हस्ताक्षर के साथ अभिप्रमाणित अथवा प्रतिहस्ताक्षरित शब्द का अंकन नहीं है। संबंधित प्रस्ताव में कुल 27.01 एकड़ भूमि गैर मजरूआ मालिक भूमि के रूप में प्रतिवेदित किया गया है, जबकि जाँच में उसमें 12.78. एकड़ भूमि गैर मजरूआ जंगल- झाड़ी पायी गई। सभी अभिलेख उनके पदस्थापन के पूर्व ही तैयार किये गये थे, यह कहकर श्री कुमार अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, क्योंकि राजस्व से संबंधी प्रतिवेदनों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उन्हें खतियान से मिलान करने के पश्चात् संतुष्ट होकर ही हस्ताक्षर करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

(ii) संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी ने यह पाया है कि आरोप सं0-4 की मूल प्रकृति, आरोप सं0-1 एवं 2 की तरह है। आरोप सं0-4 में संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी की findings आपस में विरोधाभासी है।

विभागीय समीक्षा- श्री कुमार का कथन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी मंतव्य दिया है कि चेक स्लीप, जाँच प्रतिवेदन एवं खेसरा प्रपत्र का कम्प्यूटराईज कॉपी पर आरोपी को खतियान से मिलान कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही हस्ताक्षर करना चाहिए था।

अतः, समीक्षोपरांत, श्री आलोक कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 832/03, गृह जिला- लोहरदगा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ALOK KUMAR JHK/JAS/06	श्री आलोक कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 832/03, गृह जिला- लोहरदगा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड यथावत् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री आलोक कुमार, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
